सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 09, बुधवार, शाके 1943-मार्च 30, 2022	
Chaitra 09, Wednesday , Saka 1943- March 30, 2022	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, मार्च 28, 2022

एस.ओ.688 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.2(28)वित्त/कर/2016-102 दिनांक 20.01.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 20, 2022

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लो कहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड (रिडको) के संगम-अनुच्छेद की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा।

(सं.प.2(28)वित्त/कर/2016-102)

राज्यपाल के आदेश से,

टीना डाबी,

संयुक्त शासन सचिव"

Government Central Press, Jaipur.